अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 469 सन् 2016

हेमन्त कुमार सिंह.....वादी
बनाम
अमर नाथ मिश्रा व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–
16.10.2019

वादी की पैरवी नहीं है। प्रतिवादी के तरफ से पैरवी की गई। अभिलेख को आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

**आदेश**

प्रतिवादी के आवेदन का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी फरिक 1 की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत दिनांक 31.05.2019 को एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि खाता सं0 503 के अंतर्गत खेसरा सं0 2543 एवं 2550 उनकी पुसतैनी जमीन है तथा खेसरा सं0 2549 को दिनांक 21.12.1939 को प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा खरीदा गया था, किंतु उदय प्रताप सिंह, राधिका रमन सिंह एवं रेवती नंदन सिंह सभी पेशरान स्व0 राम नारायण सिंह द्वारा काफी समय से प्रतिवादी फरिक 1 की जमीन पर विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है एवं उक्त जमीन के संबंध में 2006 में उदय प्रताप सिंह, राधिका रमन सिंह एवं रेवती नंदन सिंह द्वारा खाता नं0 503 के अंतर्गत खेसरा सं0 2543 की 2 धूर, 15 धूरकी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए बलपूर्वक अपने मकान का निर्माण

कर लिया एवं 2012 को पुनः उन लोगों द्वारा खाता सं0 503 के अंतर्गत खेसरा सं0 2549 एवं 2550 पर अतिक्रमण का प्रयास किया गया, किंतु अंचलाधिकारी द्वारा उक्त जमीन पर नापी की गई जिसमें विपक्षियों का दावा गलत पाया गया इसके अलावे 2013 में जिलाधिकारी सारण के निर्देशानुसार भूमि सुधार उप–समाहर्ता सोनपुर के न्यायालय में भूमि विवाद सं0 05/2014–15 दायर किया गया एवं खाता सं0 503 के अंतर्गत खेसरा सं0 2543 पर किए गए अतिक्रमण जिसका रकबा 2 धूर, 15 धूरकी हाता है को हटाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा आयुक्त सारण के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया, जिसे गलत पाकर आयुक्त के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया एवं उक्त आदेश को न मानते हुए दिनांक 2015 में मुन्सिफ द्वितीय, छपरा के न्यायलय में उदय प्रताप सिंह एवं अन्य दस के द्वारा जो सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, हकियत वाद सं0 1/2015 दाखिल किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निराधार पाते हुए दिनांक 15.06.2015 को खारिज कर दिया गया एवं विपक्षियों द्वारा सन् 2015 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में मुन्सिफ के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध एक सिविल रिविजन केस सं0 73/2015 दाखिल किया गया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा 07.03.2019 को निरस्त कर दिया एवं सन् 2016 में प्लॉट सं0 2549 का फर्जी कागजात बनाकर बसंत कुमार सिंह जो उदय प्रताप सिंह के वंशज हैं के द्वारा मुन्सिफ सोनपुर के न्यायालय में हकियत वाद 17/2016 दाखिल कर दिया गया है जो माननीय न्यायालय में लंबित है एवं प्लॉट सं0 2549 आवेदक के 3 प्लॉटों में से ही एक है एवं हेमंत कुमार सिंह व बसंत कुमार सिंह दोनों पुत्र स्व0 अशोक कुमार सिंह, द्वारा अवर न्यायाधीश, सोनपुर के न्यायालय में

वाद सं0 469/2016 दाखिल किया गया है जो वर्तमान में लंबित है।

आवेदक का आगे कथन है कि उदय प्रताप सिंह एवं उसके दोनों भाइयों अर्थात् राधिका रमन सिंह व रेवती नंदन सिंह तथा हेमंत कुमार सिंह एवं बसंत कुमार सिंह आपस में मिले हुए हैं एवं अलग–अलग नामों से वाद दायर कर रहे हैं एवं उन्होंने प्लॉट सं0 2543, 2549 एवं 2550 के संबंध में दो मामला दाखिल किया है, जिसमें से एक मुन्सिफ, सोनुपर एवं दूसरा अवर न्यायाधीश, सोनपुर के न्यायालय में लंबित है।

अतः पूरे प्रक्रम द्वारा सभी मामले में वही विपक्षी और वही जमीन सम्मिलित है जो रेस जुडिकेटा का मामला बनता है अतः प्रस्तुत वाद रेस जुडिकेटा होने के अंतर्गत खारिज योग्य है। इसके अलावे आवेदक के द्वारा आवेदन के अंदर में एक कुर्सीनामा भी दाखिल किया गया जिसमें माध्यम से वे यह दिखाना चाहते हैं कि जितने विवाद लंबित है सभी में वादी एक ही परिवार के हैं।

वादी द्वारा आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कहना है कि प्रतिवादी का आवेदन जो धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है जो चलने योग्य नहीं है एवं उसे खारिज किया जाए, क्योंकि प्रतिवादीगण ने अपने बयान तहरीरी में धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की बातों का उल्लेख नहीं किया है। साथ ही वादी का कहना है कि दोनों पक्षों ने इससे पूर्व किसी भी दिवानी आदालत का निर्णय एवं डिक्री संबंधित जायदाद के निःस्वत पारित नहीं हुआ है, इसीलिए प्रस्तुत वाद रेस जुडिकेटा के

दायरे में नहीं आता है एवं खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादीगण हेमंत कुमार सिंह, बसंत कुमार सिंह दोनों पुत्र स्व0 अशोक कुमार सिंह द्वारा यह वाद दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने यह अनुतोष मांगा है कि सिडियुल सं0 2 में वर्णित जायदाद पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण फरिक 3 व 4 का हकियत एवं कब्जा है।

आवेदक ने वाद पत्र की सच्ची प्रतिलिपि भी दाखिल किया है जिसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दोनों पक्षों में एक ही संपत्ति से संबंधित कई वाद दायर किया गया है एवं जो वर्तमान में लंबित भी है। वहीं हकियत वाद सं0 17/2016 का जिक्र किया है इसके अलावे हकियत वाद सं0 23/2016 एवं हकियत वाद सं0 469/ 2016 का जिक्र किया है, किंतु किसी भी वाद का वादपत्र एवं उस वाद में पारित निर्णय की प्रति दाखिल नहीं की है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत विधि के जिस नियम का वर्णन है उसमें कहा गया है कि यदि कोई मुकदमा दो पक्षों के बीच लंबित है और उसकी विषय वस्तु पूर्व में उन्हीं पक्षों के बीच निर्णित मुकदमे के विषय वस्तु के समान है तब रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा, किंतु वर्तमान परिस्थिति में जिन 3 मुकदमों का जिक्र किया गया है वे सभी विभिन्न न्यायालयों में लंबित है एवं किसी का भी अभी तक निपटारा नहीं हुआ है साथ ही आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वनिर्मित चार्ट को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सभी मुकदमे में पक्षकार अलग–अलग है एवं वाद की विषय वस्तु भी भिन्न है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में वर्णित रेस जुडिकेटा का नियम लागू नहीं होगा। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 31.05.2019 को खारिज किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05.11.2019

सब जज
सोनपुर सारण।